न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 177 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 21.08.2015

1. भाना पिता उदा जाति गुर्जर–मृतक के बजाय
   1. गोटीबाई पत्नि भाना जाति गुर्जर निवासी टाण्डी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. कोमल पुत्री भाना जाति गुर्जर अवयस्क जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमती गोटीबाई पत्नि भाना गुर्जर निवासी टाण्डी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्व

1. भाना पिता उदा जाति गुर्जर निवासी टाण्डी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. हीरा पिता उदा जाति गुर्जर निवासी टाण्डी का खेडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. सरकार जरिये उप–पंजीयक भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं आदेश न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 51/2014 निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2015

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4

निर्णय **दिनांक 01.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्गण के पिता व पति वादी भाना ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्गण के पिता व पति वादी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात मोजा धनेत तहसील भदेसर की खाता सं. 155 मे दर्ज आराजी नम्बर 5,44,45,46 कुल किता 4 कुल रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा कृषि आराजीयात दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात शामलाती खातेदारी की होकर अपीलान्ट्गण के पिता व पति वादी का 1/3 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादी का 1/3 हक व हिस्सा निहित है। विवादित आराजीयात शामलाती खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

की होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण आये दिन विवाद करते रहते है। जिससे उक्त कृषि आराजीयात का बंटवाडा कराया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अलग-अलग दर्ज की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। उक्त पत्रावली रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की तामील मे विचाराधीन थी व पत्रावली के विचाराधीन रहते हुए लोक अदालत मे दिनांक 01.07.2015 को दिलीप पिता गमेरा जाति गुर्जर निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेडा की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया गया। जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.06.2015 नियत थी। दिनांक 04.06.2015 की आदेशिका निष्पादित किये बगैर उक्त पत्रावली को दिनांक 01.07.2015 को राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर उभयपक्षकारान के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादी का सम्मन नोटिस रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा प्राप्त किया गया। यह अंकित किया कि वादी की मृत्यु हो चुकी है। उसकी तामील उसके भाई ने प्राप्त की। उक्त सम्मन नोटिस अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्राप्त हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के तहत अपीलान्ट वादी की मृत्यु हो जाना मानते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी का निस्तारण किये बगैर वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण जो वादी भाना के वारिसान है ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलान्टगण वादीगण की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण के पिता व पति भाना वादी ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण मे तामील मे विचाराधीन था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पोटलाकंला मे नियत की जाकर उभयपक्षकारान के नोटिस जारी किये गये जिसमे अपीलान्टगण के पिता व पति वादी का स्वर्गवास हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। व उक्त पत्रावली मे दिलीप पिता गमेरा गुर्जर ने उपस्थित होकर पक्षकार मुकदमा कायम किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जिसका निस्तारण किये बगैर रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण के पिता व पति वादी भाना ने जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र को कायम मुकाम पेश नही करने के कारण निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। वादी भाना ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात, का प्रस्तुत किया था। बंटवाडे का वादपत्र पक्षकारान की मृत्यु हो जाने से नियमानुसार एबेट नही किया जा सकता है क्योकि पक्षकार की मृत्यु हो जाने से संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात मे उसका स्वत्व हित कायम रहता है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने कायम मुकाम की कार्यवाही का अवसर प्रदान किये बगैर व प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी का निस्तारण किये बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण के पिता व पति भाना वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैतृक कृषि आराजीयात जो संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है के बंटवाडे के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तामील हेतु विचाराधीन थी। बिना तामील के उक्त पत्रावली को दिनांक 01.07.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट पोटलाकंला मे नियत की गई। कैम्प कोर्ट के उभयपक्षकारान के सम्मन नोटिस जारी किये जिसमे वादी का भी सम्मन नोटिस जारी किया। उक्त सम्मन नोटिस रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 2 ने प्राप्त कर अंकित किया कि भाना का स्वर्गवास हो चुका है। पत्रावली के विचाराधीन रहते हुए किसी पक्षकारान का स्वर्गवास हो जाता है तो कायम मुकाम के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 मे प्रावधान किया हुआ है कि मृत्यु दिनांक से या जानकारी दिनांक से 90 दिवस के अन्दर नाम कायमी कराया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अपीलान्टगण के पिता व पति वादी भाना की मृत्यु की जानकारी दिनांक 01.07.2015 को रेकार्ड पर आना अंकित है। व राजस्व लोक अदालत मे प्रार्थी दिलीप पिता गमेरा ने उपस्थित होकर आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात मे सहखातेदार गमेरा का हक व हिस्सा प्रार्थी को दिलाये जाने का निवेदन किया गया जिसका निस्तारण नही कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने कायम मुकाम की कार्यवाही का अवसर प्रदान किये बगैर राजस्व लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण के पिता व पति वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर राजस्व लोक अदालत के तहत अपीलान्टगण वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधिसम्मत नही होने से अपीलान्टग ग वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 51/2014 निर्णय व आदेश दिनांक 01.07.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट्गण को वादी के कायम मुकाम करते हुए व पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दिवानी का निस्तारण कर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिया जाकर उभयपक्षकारान के अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजसरे, तनकीवार, नव निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 28.12.2022 को स्वंय उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज०)